RJPP, Vol. 15, No. 2, 2017, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 4.0000 (ICRJIFR)
UGC Approved Journal No. 43279

पंचायती राज संस्थाओं मे महिलाओं की भूमिका उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में

डॉ० सुधीर मलिक
पोस्ट डोक्टरल फैलो०, राजनीतिक विज्ञान विभाग, चौ० चरण सिंह विष्वविद्यालय, मेरठ

सारांश

भारत एक लोकतांत्रिक देष है। आज जब सम्पूर्ण विष्व में लोतन्त्र का क्रियावन तेजी से हो रहा है तो ऐसे समय में भारतीयों राजनीति व्यवस्था को अधिकाधिक मजबूती से लोकतांत्रिक रूप मे लाने के उद्देष्य के साथ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान करते हुए इन संस्थाओं में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता सुनिष्चित करते हुए जोकि 73 वे संविधान संषोधन तक अपेक्षित रही है, समाज के सभी वर्गो की राजनीति सत्ता में भागीदारी सुनिष्चित करते हुए विकन्द्रीकरण को सफल बनाना है।

शोधपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

डॉ० सुधीर मलिक,
“पंचायती राज संस्थाओं मे महिलाओं की भूमिका उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में”,
RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 63-74,
http://anubooks.com/?page_id=2004
Article No. 10(RP559)

डॉ० सुधीर मलिक

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज जब सम्पूर्ण विश्व में लोतन्त्र का क्रियावन तेजी से हो रहा है तो ऐसे समय में भारतीयों राजनीति व्यवस्था को अधिकाधिक मजबूती से लोकतांत्रिक रूप मे लाने के उद्देश्य के साथ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान करते हुए इन संस्थाओं में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जोकि 73 वे संविधान संशोधन तक अपेक्षित रही है, समाज के सभी वर्गो की राजनीति सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विकन्द्रीकरण को सफल बनाना है।

अहिंसा के पुजारी गांधीजी के सन 1942 में लिखा है केन्द्रीकरण समाज को अहिंसक व्यवस्था से मेल नही खाता सन् 1939 में उन्होंने लिखा था कि यदि हम भारतीयों की दृष्टि में अहिंसक रीति द्वारा विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोतो व बातो का विकेन्द्रीकरण करना होगा। गांधी जी जो देश के लिए सपनों मे सजोकर एक आर्दश समाज अंहिसा के साथ–साथ विकेन्द्रित व्यवस्था पर अलाम्बित होगा उसी अवस्था में ही उनका स्वराज्य होगा। वस्तुतः सामाजिक अवस्था में शक्ति के बिना विकेन्द्रीकरण पूर्ण नही हो पाता जिससे केन्द्रीकरण द्वारा ही सबसे अधिक खतरा गांधी जी के सपनो को विशेष रूप से है।

वस्तुतः विनोबे भावे ने भारतीय, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था को देखते हुए पूर्ण स्वराज्य एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर महत्त्वपूर्ण बल दिया है जिससे सर्वोदय लोगो को ऊपर उठाया है वर्तमान स्वराज्य पर लिखते हुए विनोबा जी ने कहा है ''कि स्वराज्य आया है स्वराज्य का अर्थ सत्ता का विकन्द्रीकरण होता है''

भारत में विकन्द्रीकरण व्यवस्था वास्तव मे लोकतन्त्र के अर्न्तगत ही सम्भव हो सकती है। वस्तुतः लोकतन्त्र के द्वारा ही विकेन्द्रीकरण व्यवस्था का जन्म हुआ इसीलिए विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्र की रक्षा और सम्बन्ध का मुख्य साधन बन जाता है। गांधीजी के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का सार था कि प्रत्येक गाँव में सुविधाए प्राप्त होनी चाहिये अन्यथा इससे गाँवो की जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ''राजनीति के क्षेत्र में गाँधी जी के विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी विचार की आवश्यकता के लिए वर्तमान समय में पाश्चात्य का सम्पूर्ण विश्व भी अनुभव कर रहा है। ''गाधी जी अपने सम्पूर्ण जीवन में स्वराज्य और विकेन्द्रीकरण की वकालत करते रहे है।

पंचायती राज में विकेन्द्रीकरण के द्वारा आम नागरिक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। लोकतन्त्र के सन्दर्भ में विकन्द्रीकरण की सबसे बड़ी प्रगति यह है कि इससे लोकतन्त्र जन–जन के द्वारा पहुँच जाता है। आजकल सभी देशों में प्रतिधिक लोकतन्त्र का रिवाज सा दिखाई देता है।

भारत में पंचायत राज संस्थाओं व व्यवस्थाओं के कार्य स्वरूप के परिणाम स्वरूप संस्थाओं के सम्पूर्ण विकास को 1942 से पहले भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राजव्यवस्था अस्तित्व में रही थी। पंचायती राज व्यवस्था के काम करने के तौर तरीके मुगल काल तथा ब्रिटिश काल में भी जारी रखे गये थे लेकिन ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय स्वायन्त्र संस्थाओं की स्थिति

पर जाँच करने तथा उनके सम्बन्ध में सिफारिस करने के लिए 1882 तथा 1907 में शाही आयोग का गठन किया गया। जिससे आम जनता में स्थानीय संस्थाओं की जानकारी एक व्यक्ति सीमित होकर रह गयी।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत मे लोकतांन्त्रिक व्यवस्था के साथ लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। पंचायती राज व्यवस्था को लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का आधार बनाया। प्राचीन भारत में ''इस दृष्टिकोण में वैदिक साहित्य महाकाव्य, स्मृतिग्रन्थ कौटिल्य अर्थशास्त्र, शुक्रसार नीति जैसी अमर एवं विश्ववतुत कृतियाँ भी स्थानीय स्वशासन का बोध कराती है। रामायण, महाभारत में भी भारतीय शासन की इकाई ग्राम के महत्व को प्रदर्शित करती है। गाँव की शासन एंव प्रशासन की धुरी माना गया है। इससे ग्राम पंचायत का महत्व प्रदर्शित होता है। गाँधी जी के इच्छा थी कि ग्राम स्वराज्य का एक ऐसा पूर्ण लोकतान्त्रिक ढ़ाचा हो जिससे हमारी बुनियादी जरूरत स्वावलम्बन के आधार पर पूरी की जा सकें।

महात्मा गाँधी के विचारों को क्रियान्यवित करते हुए संविधान की धारा 40 मे व्यवस्था कि गयी की राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन के साथ–साथ उनको समस्त अधिकार प्राप्त करायेगा। कि ग्राम पंचायत स्वायत और स्वषासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। 2 अक्टूबर 1952 को ग्राम स्वराज्य की स्थापना के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम शासन में ग्रामीण जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था लेकिन परिणाम स्वरूप यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल नही हो पाया अर्थात जनता की सहभागिता नही हो सकी इसके उद्देश्य पूरा करने के लिए सरकार ने पंचायत राज व्यवस्था केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने अनेक समितियों का गठन किया

पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में गठित समितियाँ

बलवन्तराय मेहता समिति 1957

भारत सरकार ने देश के ग्रामीणों के विकास करने के लिए पंचायत राज संस्थाओं के सम्बन्ध में बलवन्तराय मेहता समिति की अध्यक्षता मे एक अध्ययन दल का गठन किया और समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट के अनुसार विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य पंचायत राजसंस्थाओं को सौंप देने चाहिये। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत पूर्णतः निर्वाचित है। ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति विकास के समस्त कार्य हाथ में ले। प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन हो उसमें सांसद विधायक भी सदस्य है।

सादिक अली अध्ययन दल 1964

इस समिति के अनुसार आषा के अनुरूप पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा कार्य नही करने का मुख्य कारण सांधनों की कमी व ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक व सचिव की कमी पायी।

गिरधारी लाल व्यास समिति 1973

इस समिति ने जिला परिषद को ग्रामीण विकास की सशक्त इकाई बनाने पर जोर दिया और जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी योजनाए स्टाफ सहित जिला परिषद को सौंप दी जाए।

अशोक मेहता समिति 1947

समिति के अनुसार 10–15 गाँवो को मिलाकर मण्डल पंचायत होनी चाहिये व विकास कार्यक्रर्मो की क्रियावन कि जिम्मेदारी जिला परिषदों को ही तथा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा करवाने की सिफारिश की समिति की पंचायती राज स्तरीय पद्धिति का निमार्ण किया जाये। राज्य स्तर से नीचे का विकेन्द्रीकरण का पहला बिन्दू जिला है। जहाँ ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक उच्च कोटि का ज्ञान उपलब्ध है।

डॉ० पी.वी. के राव समिति 1985

गठित राव समिति ने जिला स्तर पर योजनाए बनाने व नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की।

डॉ० लक्ष्मी सिंधवी समिति 1986

देश की पंचायत राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतू गठित सिंधवी समिति ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर आर्थिक सक्षम बनाने, व संवैधानिक मान्यता दिये जने पर बल दिया।

पी० के० थुगन समिति 1988

थुगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने व निर्धारित समय पर चुनाव की सिफारिश की। तथा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 1989 में 64 वाँ संविधान संशोधन लोकसभा मे पेष किया किन्तु लोकसभा के भंग किये जाने के कारण समाप्त हो गया इसके बाद 4 दिसम्बर 1991 में 72 वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर समिति ने अपनी सहमति जुलाई 1992 में दी और विधेयक पेश किया और क्रमांक को बदल कर 73 वां संशोधन विधेयक पेश किया और 22 दिसम्बर 1992 को राज्यसभाओं ने क्षेत्र समितियों द्वारा पारित किया गया जिसे 17 राज्य सभाओ ने अनुमोदित किये जाने पर 26 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी ओर 73 वां संविधान संशोधन से पहले महिलाओं की भागीदारी।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराने के लिए 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने महिलाओं की भागीदारी से सम्बन्धित सिफारिशे इस प्रकार की कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला समिति एवं जिला परिषद में यदि कोई महिला निर्वाचित न हो तो ऐसी स्थिति में दो महिलाओं का मनोनयन किया जाए जो बच्चो और महिलाओं के कार्य में रूचि रखता हो (ऐसा प्रावधान, महाराष्ट्र, उ०प०, आन्ध्रप्रदेश कर्नाटक, केरल एवं हिमाचल आदि राज्यों ने किया) महिलाओं से मनोनयन से तात्पर्य था कि जो महिला चुनाव लडने हेतु सक्षम नही है या कमजोर वर्ग से है। बल्कि वास्तव में ये हुआ कि दृष्टि से प्रभावशाली परिवार से थी। इस प्रकार महिलाओं की भागीदारी मात्र दिखावा साबित हुआ।

73 वें संविधान संशोधन एवं पंचायती राज संस्थाओं मे महिलाओं की भूमिकाः

इस संविधान के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए

33% स्थान आरक्षित किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण भारत की पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों पर प्रधान, जिला प्रमुख पर महिलाए आसीन हुई।

73 वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हुइ। इस संशोधन में संविधान मै एक नया खण्ड (a) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गये। अनुच्छेद 243 (घ) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता तथा अनुच्छेद 243 (घ) (4) मे उनके पदों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 (घ) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में इस प्रकार का आरक्षण करना है कि उनके बीच भी महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई स्थान आरक्षित हो अन्य वर्गो पिछड़ो वर्गो के आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधान मण्डलों की इच्छा पर छोड़ दिया।

अनुच्छेद 243 (घ) (6) के अनुसार राज्य मण्डल चाहे तो आरक्षण कर सकते है। और कितना और भिन्न–भिन्न स्तर पर होगा।

अनुच्छेद 243 (ढ़) के अनुसार राज्य सरकार को संविधान संशोधन के लागू होने के एक वर्ष के भीतर 24 अप्रैल 1993 अपने राज्यों के अधिनियमों मे संविधान के प्रावधानों के अनुकूल संशोधन करना था इस अनिवार्य संशोधन के प्रावधाननुसार राज्य सरकारों मे 24 अप्रैल 1994 तक यह संशोधन कर लिया। इस संशोधन से आशा की गयी की इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और समाज में महत्वपूर्ण राजनैतिक सामाजिक परिवर्तन होगे।

1. 1/3 महिलाओं की संख्या किसी भी पंचायत के फैसलो मे मुख्य भूमिका निभा सकती है विशेषकर महिलाओं और बच्चों के विकास से सम्बन्धित फैसलो व क्रियान्वयन सुनिश्चित होगे।
2. महत्वपूर्ण फैसले मे महिला संरपचों पर निर्भर होगे।
3. आरक्षण के कारण पंचायतों में महिलाओं की भूमिका और मजबूत और महत्वपूर्ण होगी।

महिला सहभागिता का औचित्य

पंचायत राज संस्थाएँ लोकतन्त्र की आभारभूमि हैं लोकतत्र की प्रयोगशाला हैं लोकतन्त्र की प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठशाला हैं लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए एवं लोकतन्त्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार सभी राजनीतिक दल, समाज के अभिजन वर्ग, सभी बुद्धिजीवी वर्ग का यह दायित्व है कि महिलाओं के शैक्षणिक स्तर का उन्नयन करें। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में महिलाओं की बहुत महती भूमिका हैं महिला पारिवारिक जीवन की आधारशिला हैं। महिलाओं के राजनीति में आने से उनकी जिम्मेदारी दुगुनी बढ़ गयी है। परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के निमार्ण में अपना योगदान दे रही है। देश के राजनीति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। परन्तु इन सबका सम्बन्ध शैक्षणिक स्तर से है क्योंकि शिक्षा वह आलोक है जो उन्हें (महिलाओं) रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास, सामाजिक संकीर्णता से मुक्ति दिलाकर उनके विकास एवं आधुनिकीकरण करके अपने आपको समाज, राज्य और राष्ट्र से जोड़ता है। अच्छी पढी लिखी महिला में अच्छी समझ विकसित होती है। शिक्षित महिला अपने परिवार का अच्छा संचालन करती है। बच्चे जो देश के भावी कर्णभार है उन्हें संस्कारित करती

है, साथ ही समाज व देष की राजनीति में सकारात्मक सक्रिय योगदान देती है।

देश की राजनीति में आज जिस प्रकार की विशमताएँ, समस्यायें बढ़ रही है। जिनमें भ्रश्टाचार, अपराध का राजनीतिकरण व राजनीति का अपराधीकरण प्रमुख रही है। ऐसी स्थिति में महिला जो त्याग, सेवा, सहयोग, प्रेम, करूणा और कर्तव्य परायणता की पर्यायवाची है, वह समाज सेवा को अपने हाथों में लेती है व देष की राजनीति में जिम्मेदारी से सक्रिय योगदान देती है, तो यह एक अच्छी बात है एक सुखद अनुभूति है जिसके परिणास्वरूप देषकी राजनीति को इन समस्याओं से निजात मिलने की सम्भावना देखी जा सकती है।

73 वां संविधान संषोधन पारित करके महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं मं 33 प्रतिषत आरक्षण दिया है, यह सरकार की सद्बुद्धि का परिचायक है। इस संषोधन में महिलाओं, अन्य प्रतिनिधियों को संवैधानिकता प्रदान करके एक बहुंत बड़ा सम्बल प्रदान किया है।

पंचायती राज संस्थाओं मे महिला सहभागिता की समस्याएँ

पंचायती राज व्यवस्था जिन उद्देश्यों को लेकर बनायी गई, यह व्यवस्था कहाँ तक सफल हुई? यह विचारणीय प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद सत्ता का विकेन्द्रीकण होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। अब भी योजनायें गाँव में बनने के बजाय राजधानी में बैठकर बनायी जाती है। इस प्रकार योजनाओं व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी राजधानी में बैठे लोगों द्वारा ही किया जाता है जिन्हें, ग्रामीण समाज की जानकारी नहीं है। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतीरजा संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान की गई, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यह एक सराहनीय कदम है। इससे ग्रामीण महिलाओं में जागृति और चेतना विकसित हो रही है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिला जन प्रतिनिधियों को कार्य करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ रही है।

1. **शिक्षा की व्यवस्था–** शिक्षा वह आलोक है जिसके माध्यम से व्यक्ति का सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक रूप से विकास होता है व्यक्ति के विवेक का विकास होता है। पंचायती राज संस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में शिक्षा का अभाव एक विकट समस्या है। शिक्षा के अभाव में न तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो पाता है ओर न ही विवेक जाग्रत हो पाता हे। ग्रामीण भारत की अधिकांष जनता निरक्षर है या शिक्षित है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने मूलभूत अधिकारों का ज्ञान नहीं, जानकारी नही है। ग्रामीण भारतीय समाज में आज भी महिला शिक्षा के महत्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। शिक्षा के अभाव में जन–प्रतिनिधियों विशेष कर महिला वर्ग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज के अनेक लोग, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित व्यक्ति इत्यादि उनके अनपढ़ होने का अनुचित लाभ उठाते है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने स्वार्थो को पूरा करने के लिए अशिक्षित लोगों को गलत सूचनायें देकर प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लेते है, उनका दरूपयोग कर लेते है।
2. **प्रशिक्षण की कमी**– नये पंचायतीराज व्यवस्था में पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी है। जनता

के वे प्रतिनिधि जो पहली बार निर्वाचित होकर आये है। उनके पास पर्याप्त जानकारी और प्रशासनिक अनुभव है। सरपंच, पंच, उप सरपंच, उप समिति के अध्यक्ष व सदस्यों व ग्राम सेवकों को लघु प्रशिक्षण दिया जाना है, परन्तु एक बार का प्रशिक्षण पर्याप्त नही होता है। आज प्रशिक्षण प्रशासन की महत्वपूर्ण आवश्यक है। प्रशिक्षण के अभाव में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनायें प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पाती है।

3. **आर्थिक स्थिति का कमजोर रूप**– पंचायत के अधिकांश स्थान उन्हीं महिलाओं के नियन्त्रण में है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, परन्तु कमजोर वर्ग व अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग की अधिकांष महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि कार्य या मजदूरी करनी पड़ती है। यदि वे पंचायत की बैठकों में भाग लेती हैं तो उनके सामने परिवार के पोषण की समस्या हो जाती हैं शहरों में नगरपालिकाओं, विधानसभाओं, संसद में वे प्रतिनिधित्व करती है। किन्तु गाँवों की पंचायतों में उनकी भागीदारी बहुत कम हैं इस तरह सामाजिक और आर्थिक अभावों के कारण महिलायें पंचायतों में आगे नहीं बढ़ पाती है।
4. **सामाजिक स्थिति में अभाव ग्रस्त जीवन**– नये पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 33 प्रतिषत आरक्षण की व्यवस्था भी है परन्तु इस आरक्षण का अधिकांष लाभ सवर्ण जातियों की महिलाओं के साथ बैठना, बातचीत करना पसन्द नहीं करती हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का यह सामाजिक पिछड़ापन उनके विकास में बाधक है। इनका असर पंचायती राज संस्थाओं के सफल संचालन सपर भी देखा जा सकता है।
5. **सामाजिक बुरारियों की अधिकता–** आजादी के 63 वर्षो के बाद भी ग्रामीण भारतीय समाज विशेषकर उ०प्र० राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त है। अभी भी गाँवों में महिलाएँ घूंघट निकाल कर चलती हैं। उ०प० की सैंकड़ों महिला सरपंच अभी भी घूंघट की ओट में पंचायतों का काम काज संभाल रही हैं। बैठक में उनके साथ उनका पति आकर बोलता है। समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पुराने रीति रिवाज एवं कठोर रूढ़िवादिता के कारण महिलायें विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर पा रही है।
6. **पुरूष वर्ग एकाधिकार वादिता**– राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा रूकावट डालना बहुत बड़ी बाधा है। यह समस्या कम षिक्षित या अनपढ़ महिला ही नहीं, शिक्षित महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। परिवार के पुरूष नहीं चाहते कि उनकी महिलाएँ अन्य पुरूष से सीधे बातचीत करें। पुरूषों की यह मानसिकता महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं में सक्रिया सहभागिता निभाने में बाधक बनती है।
7. **सामन्तवादी ताकतों का एकाधिकार–** विशेषकर उ०प्र० राज्य में सामन्तवादी व्यवस्था ओर जागीरदारी व्यवस्था समाप्त होने के बावजूद भी ग्रामीण एवं स्थानीय

राजनीति में आज भी सामन्तवादी ताकतों का प्रभाव स्पश्ट दिखाई देता है। पंचायती राज संस्थाओं की कर्याप्रणाली एवं कार्य ामता को सामन्तवादी और जागीदारी तत्व प्रभावित करते हैं। पसहले तो सामन्तवादी जागीरदारी तत्व अपनी ही महिलाओं को निर्वाचित कराने को प्रयास करत हैं। यदि स्वयं उस सरपंच भी बन जाते हैं। और कोई महिला सरपंच है तो उसे परेषान करने को प्रयास करते है ओर उसे पद से हटाने तक के शड़यन्त्र में संलग्न रहते हैं। सरपंच के हटते पर वाह स्वंय सरपंच पद का कार्यभार ले लेता है और मनमानी कार्य का प्रयास करता है।

8. **महिला प्रतिनिधियों के प्रति असुरक्षा की भावना की अधिकता**– पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दौरान महिला जन प्रतिनिधियों विशेषकर कमजोर वर्ग की महिला माना जा सकता है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ हिंसात्मक या गैर सम्माननीय व्यवहार भारतीय लोकतन्त्र का दुखद पहलू माना जा सकता है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ हिंसा एंव गैर सम्माननीय व्यवहार ही नहीं, उत्पीड़न तथा सामूहिक बलात्कार के मामले भी प्रकाष में आते रहते हैं। मन्त्रियों द्वारा दुराचार का मामला, पुलिस के द्वारा पिटाई का मामला या अपशब्द बोलने को मामला इत्यादि अषोभनीय व्यवहार के माले प्रकाश में आये दिन आते दिन आते रहते हैं। राजनीति में निरन्तर बढ़ रही हिंसा, अपराधकरण, चरित्र हनन वंशवाद, भ्रष्टाचार आदि के कारण भी आम शिक्षित तथा सम्भ्रांत परिवारों की महिलायें सक्रिय राजनीति को अपना कार्यक्षेत्र बनाने में संकोच करती हैं।
9. **जातिवाद की अधिकता–** ग्रामीण भारतीय समाज में आज भी कठोर जाति व्यवस्था विद्यमान है। जहाँ अन्य महिला प्रतिनिधि सामान्य एवं उच्च वर्ग से सम्बन्धित है वे पंचायतों की बैठकों में जाना कम पसन्द करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि महिला सरपंच अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है और उन महिलाओं के साथ बैठना, उनसे बातचीत करना अपना अपमान होगा। उनके सम्मान, उनकी स्थिति पर ठेस लगाती है, और अपनी ही जाति के प्रतिनिधि का समर्थन करना पसन्द करती हैं।
10. **वित्तीय संसाधनों का पूर्णत कमी–** नई पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनां की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं जिनका उल्लेख संविधान की धारा 243 (एच) और 243 (आई) में किया गया है जिनको अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने तथा वसूलने का अधिकार दिया गया है महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार के समय यह पाया कि अभी भी पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। यदि पंचायतों के पास अपने कार्यो को करने के पर्याप्त संसाध नहीं है तो स्वायत्तता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में पंचायतीराज संस्थाओं का सफल संचालन कठिन हो जाता है।
11. **भ्रष्टाचार की अधिकता–** भ्रश्टाचार की अमरबेल ने सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एवं सम्पूर्ण सामाजिक व्यवसायी को जकड़ रख है। पंचायती राज

संस्थायें भी इसकी जकड़ से बाहर नहीं है। अधिकारी तथा पदाधिकारी अपने पद व षक्तियों का दूरूपयोग करते हैं। जन प्रतिनिधियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करना, राजनीतिक हत्यायें अपराधियों को रिश्वत देकर छोड़ देना इत्यादि। भ्रष्टाचार की प्रवृति के कारण जनप्रतिनिधि समाज में कल्याणकरी दायित्वों को पूरा करने में असफल रहते है। राजस्थान में एक मलिा सरपंच द्वारा विकास कार्यों के लिए मिली एक लाख रूपये की राषि का गबन यिका, लेकिन जनमत के दबाव मं वह राशि लौटाईं इससे सष्ट है कि भ्रष्टाचार की एक विकट समस्या है।

12. **राजनीतिक अपराधीकरण की अधिकता**–स्थानीय स्तर की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तक अपराधियों का प्रभाव बना हुआ है। राजनेता अपने अनुचित कार्यों को करने के लिए धन बल, भुज का सहारा लेते है। अपराधियों को शरण देता है। इस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों को राजनीतिकरण हो रहा हे। इस पराधीकरण की समस्या से पंचायती राज संस्थायें भी अछूती नही रही हैं खास कर महिला प्रतिनिधियों को पराधीकरण की समस्या का अधिक सामना करना पड़ता है। विविध सामाजिक विधानों एवं न्यायिक संस्थानों के बावजूद भारत में महिलाओं का जीवन असुरक्षित, असुरक्षित, अपमानित, पीडामय एवं दुर्भाग्यसपूर्ण हैं।
13. **सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हस्तक्षेप**– कई जगह सरकारी उउउअधिकारी कर्मचारी अपनी स्थिति एवं शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए जन–प्रतिनिधियों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं सबसे अधिक समस्या उन महिला प्रतिनिधियों की है जो पहली बार निर्वाचित होकर आये हैं।, उन्हें नियमां की जानकारी नहीं हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि अपना काम कहाँ कैसे व किससे करवाना होगा इसी कारण कई जगह ग्राम सेवक, पटवारी व अन्य अधिकारी कर्मचारी हावी हो रहे हे क्योंकि वे पुराने और अनुभवी हैं। ऐसी स्थिति में लोगों में निराशा और अविश्वास उत्पन्न होने लगता है और वे महिलाओं की अयोग्यता और अक्षमता का सामान्यीकरण करने लगते हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता बढ़ाने के लिए सुझाव

पंचायती राज व्यवस्था का सम्बन्ध ग्रामीण भारतीय राजनीतिक समाज से है। भारतीय समाज में महिलाओं को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। विशेषकर ग्रामीण समाज मं महिलायें सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दायित्व का निर्वाह कुशलतापूर्वक करती हैं। 73 वाँ संविधान संषोधन द्वारा महिलाओं की स्थिति को संवैधानिक दर्जा देते हुए गौरवान्वित किया। उ०प्र० में पंचायतीराज अधिनियम पारित करके महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाकर सम्मान दिया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के पर्याप्त, उचित एवं सही तथा सक्रिय सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व के लिए एवं समस्याआं के निराकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं–

1. **शिक्षा की मजबूत व्यवस्था**– शिक्षा वह आलोक हे जिससे प्रकाशित होकर मानव अपने विकास का रास्ता है तथा अन्धविश्वास, रूढ़ियों से मुक्ति पाकर जागरूक इन्सान

बनता है। इसके लिए राजय को सार्वजनिक एवं अनवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। महिला जा परिवार ओर समाज की धुरी है, उसे शिक्षित करना आवश्यक है क्योंकि वह एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती है, एक अच्छी एवं नयी निमार्ण करती है। एक युग का निर्माण करती है। पंचायती राज संस्थाओं में अच्छी तरह कार्य करने के लिए एवं सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए राजनीतिक समझ विकसित करने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना आवष्यक है।

2. **समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था**– पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों को अपना कार्य सुचारू रूप से एवं सफलतापूर्वक करने के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जो जन प्रतिनिधि पहली बार निर्वाचित होकर आते है। उनके लिए प्रशिक्षण की महती आवष्यकता हैं।
3. **नागरिको में नैतिकता का विकास**– किसी भी सुचारू से संचालित करने के लिए जनता में नागरिक गुणों का विकास होना चाहिए। नागरिकों में ईमानदारी, कर्त्तव्यपरायणता, उत्त्म चरित्र, सामाजिक समरसता एवं सामाजिक सद्भाव के गुणों का विकास होना चाहिए। महिलाओं के पस्रति आदर एवं सम्मान की भावना होनी चाहिए। उनकी गरिमा को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए।
4. **सामजिक समानता**– किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि उस समाज में सामजिक समरसता होनी चाहिए। समाज की ऊँच–नीच, भेदभाव षोशण, अन्याय, छूआछूत इत्यादि सामाजिक बुराईयों का अन्त होना चाहिए तभी केई संस्था सफलतापूर्वक कार्य कर सकती हैं।
5. **महिला समूह की स्थापना**– सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों के द्वारा महिला मण्डलों की स्थापना करने का प्रयास करना चहिए जिसके माध्यम से महिलायें अपनी समस्याओं को खुलकर प्रस्तुत कर सकें। महिला संगठनों तथा सरकारी अभिकरणों के द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने तथा चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
6. **जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार**– लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में पंचात राज संस्थाओं को ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। इनमें प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की भावना की झलक दिखायी देती है। जन प्रतिनिधियों को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक है कि जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप जन प्रतिनिधियों में जनता के प्रति अपने दायित्व के प्रति उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही की भावना में वृद्धि होगी।
7. **महिला प्रतिनिधियों के साथ पुरूशों का हस्तक्षेप बन्द होना चाहिए**– पारम्परिक रूप से महिला को अबला समझा जाता है परन्तु आधुनिक महिला अबला नहीं बल्कि सबला है। अपना काम करने में सक्षम है फिर भी उनके पति या पिता द्वारा इस्तक्षेप किया जाता है। उनके दबाव में कार्य करना पड़ता है। सरकार को ऐसा प्रयास

करना चाहिए जिससे पुरूषों का हस्तक्षेप सरकार ने 73 वाँ संशोधन पारित करके महिला सबलीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है।

8. **पुरूष मानसिकता में नैतिक मूल्यों की स्थापना**– पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागीदारी को उपयोगी सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि समाज के पुरूष वर्ग की मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। महिला जो एक राष्ट्र का निर्माण करती है, एक नयी संस्कारिता पीढ़ी को जन्म देती है, एक नये युग का निर्माण करती है। इस आधुनिक युग में भी दोयम दर्जा प्राप्त है। सिद्धान्त रूप से भले ही सहधर्मणी, घरवाली या अर्द्धागनी माना जाता है परन्तु व्यवहार उनके साथ गुलाम, नौकर जैसा किया जाता है। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि पुरूशों को महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलकर कथनी और करनी में अन्तर समाप्त करना चाहिए।
9. **सामाजिक तथा कानूनी सुरक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था को कानूनी रूप** – पंचायतों की कई महिला प्रतिनिधियों वाली अनेक घटनायें हुई। सरकार को महिला प्रतिनिधियों के लिए सामाजिक एवं कानूनी सुरक्षा के ठोस प्रयास करने चाहिए। जिससे महिलाओं के विरूद्ध शोषण एवं अत्याचार व अन्य प्रकार की आपराधिक घटनायें रोकी जा सकें।
10. **महिला सबलीकरण, महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना**– 24 अप्रैल, 1993 को 73 वाँ संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हुआ। उस दिवस को प्रति वर्ष पंचायत में महिला सबलीकरण दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जिससे जनता में महिलाओं के प्रति जागरूकता विकसित होगी, महिला उत्थान के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा जो समाज के स्वास्थ विकास के लिए आवश्यक है।
11. **जतिवाद की भावना कम करना**– उत्तर प्रदेष राज्य का ग्रामीण समाज रूढ़िवादी एवं जातीय संगठन पर आधारित है। जाति भेद तथा व्यक्ति–व्यक्ति के बीच की दूरी लोकतन्त्र के लिए एक बड़ा अवरोध है। लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए वं पंचायत राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि जातिगत भेदभाव किये जाये साथ ही छूआछूत या अस्पृश्यता की भावना का भी अन्त किया जाना आवश्यक है कि ताकि अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधि भी पंचायती राज व्यवस्था में निर्भर होकर परिमाण वातावरण में कार्य कर सके।
12. **राज्य पंचायत सेवा**– सरकार को राज्य पंचायत सेवा का आरम्भ करना चाहिए जिससे पंचायत राज व्यवस्था में विषेशज्ञ विकसित किये जा सकें। यह पंचायत राज संस्थाओं की सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए बहुत अच्छा कदम होना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रमेश कुमार, 73वां संविधान संशोधन, अधिनियम, 1992 के तीन वर्ष अप्रैल 1996, रोजगार मन्त्रालय, नई दिल्ली– पृष्ठ सं० 2

2. वी०एल० फाडिया, लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 1998 पृष्ठ 801

3. एम० शर्मा, योजना 31 दिसम्बर 1991 पब्लिसिंग पटियाला हाउस नई दिल्ली पृष्ठ सं० 22–23–24

4. महात्मा गाँधी : ग्राम स्वराज्य, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद 1963 पृष्ठ सं० 62–72

5. पी० सी० जैन भारत की आधुनिक प्रगति, मेहरा आफसैट प्रैस आगरा प्रथम संस्करण– 1966 पृष्ठ सं० 42–40

6. जयनारायण पाण्डेय : भारत का संविधान, सेण्टल ऐजेन्सी इलाहाबाद– 1996– पृष्ठ 439